प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक: 1329/1994

अपीलकर्ता :
प्रीतम एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी :
मध्य प्रदेश राज्य

उपस्थित: श्री अवध त्रिपाठी, अपीलार्थी के अधिवक्ता

श्री डी.के. ग्वालरे, शासकीय अधिवक्ता राज्य के लिए

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत अपील

निर्णय

(30.11.2012)

1. वर्तमान अपील द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 74/1992 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 29.10.94 से उत्पन्न हुई है । उक्त आदेश द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थियों को **भारतीय दंड संहिता की धारा 304-B और 498-A** के तहत दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है । उन्हें सात साल के सश्रम कारावास और दो साल के सश्रम कारावास के साथ 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है, और जुर्माने के व्यतिक्रम पर दो महीने के अतिरिक्त सश्रम कारावास का प्रावधान किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. वर्तमान प्रकरण में, मृतका किरण लता अपीलार्थी क्रमांक 2 की पत्नी है, जबकि अपीलार्थी क्रमांक 1 मृतका के ससुर हैं । किरण लता (अब मृत) का विवाह 15.5.89 को अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ संपन्न हुआ था । 3.6.91 को अपने ससुराल में 90% जलने के कारण 7.6.91 को उनकी मृत्यु हो गई । उन्हें तुरंत डी.के. अस्पताल, रायपुर में भर्ती कराया गया जहाँ 7.6.91 को उनकी मृत्यु हो गई । मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-12) दर्ज की गई और पंचनामा (प्रदर्श पी-6) तैयार किया गया । मर्ग जाँच के बाद, 10.6.91 को अभियुक्त/अपीलार्थियों के विरुद्ध **भारतीय दंड संहिता की धारा 304-B/34** के तहत प्राथमिकी (प्रदर्श पी-15) पंजीकृत की गई । मृतका के शव का पोस्टमार्टम डॉ. डी.सी. जैन (अ. सा.-8) द्वारा प्रदर्श पी-11 के माध्यम से किया गया और उनके अनुसार मृत्यु का कारण जलने के कारण अचानक मूर्छा था । अन्वेषण के पश्चात्, 3.10.91 को अभियुक्त/अपीलार्थियों और

दोषमुक्त किए गए अभियुक्त मुढो बाई और गणपत के विरुद्ध **भारतीय दंड संहिता की धारा 304-B, 34 और 498-A** के तहत अभियोग पत्र दाखिल किया गया ।

3. अपने प्रकरण के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों का परीक्षण किया है । अभियुक्तों/अपीलार्थियों के बयान **दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313** के तहत भी दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताते हुए मामले में झूठा फँसाए जाने का अभिवाक किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पक्षों को सुनने के बाद, अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त मुढो बाई और गणपत को सभी अपराधों से दोषमुक्त कर दिया है, लेकिन वर्तमान अभियुक्तों/अपीलार्थियों को उनके निर्णय के अनुच्छेद क्रमांक 1 में उल्लेखित अनुसार सिद्धदोष पाया और सजा सुनाई। अतः यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

5. इस न्यायालय द्वारा जारी जमानती वारंट के अनुसरण में, थाना प्रभारी राजिम, जिला रायपुर द्वारा दिनांक 20.12.2011 को सूचना भेजी गई है कि अपीलार्थी नंबर 1 **प्रीतम** पिता बुधराम की मृत्यु हो गई है । अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने भी उक्त तथ्य की पुष्टि की है । इसे देखते हुए, वर्तमान अपील केवल अपीलार्थी क्रमांक 2 **बंशीलाल** के संबंध में सीमित है ।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री त्रिपाठी का तर्क है कि यदि अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को वैसा ही मान लिया जाए जैसा वह है, तब भी अभियुक्त/अपीलार्थी बंशीलाल को **भारतीय दंड संहिता** की **धारा 304-B** के तहत सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सकता । उनका तर्क है कि न्यायालय में बयान देते समय, मृतका के पिता श्याम लाल साहू (अ.सा.-5) और माता लक्ष्मी बाई (अ.सा.-6) ने अपने संस्करण में सुधार किया है और अपीलार्थी को झूठा फँसाया है । उन्होंने आगे तर्क दिया कि मृतका का मृत्यु कालिक कथन 5.6.91 को दर्ज किया गया था, लेकिन उसे प्रदर्शांकित नहीं किया गया है और संबंधित गवाह नायब तहसीलदार का परीक्षण अभियोजन पक्ष द्वारा ज्ञात सर्वोत्तम कारणों से नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए, राज्य के अधिवक्ता श्री डी.के.ग्वालरे द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि पूरी तरह से विधि के अनुरूप है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है । उन्होंने तर्क दिया कि मृतका का मृत्यु कालिक कथन न्यायालय में प्रदर्शांकित नहीं किया गया है और जिस तहसीलदार ने उक्त बयान दर्ज किया था, उनका विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षण क्यों नहीं किया गया, यह अभिलेख से स्पष्ट नहीं है ।

8. पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

भुनेश्वर (अ.सा.-1): अपीलार्थी का पड़ोसी जो घटना के बाद मौके पर पहुँचा था, उसने
अभियुक्त/अपीलार्थी की उपस्थिति के अलावा उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है और अपने साक्ष्य के उत्तरार्ध में उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया ।जी. रत्नाचलम (**अ.सा**.-2) जिसने घटना के बाद मृतका की देखभाल की थी, उसने भी अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है ।**पवन कुमार साहू (अ.सा.-3)** पटवारी ने घटना स्थल का नक्शा प्रदर्श पी -2 तैयार किया ।**सेवा राम (अ.सा.-4):** कतिपय दस्तावेजों की जब्ती (**अ.सा.-3**) का गवाह, उसने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है ।**श्याम लाल (अ.सा.-5):** मृतका के पिता ने बताया कि मृतका का विवाह अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ 15.5.89 को हुआ था और घटना के दिन उन्हें मृतका के जलने की सूचना मिली थी ।उन्होंने बताया कि जब वे अस्पताल पहुँचे तो मृतका होश में थी और धीरे-धीरे बात कर रही थी ।उन्होंने आगे कहा कि उनके भाई मुकुंदलाल साहू, साले और मृतका के पति बंशीलाल की उपस्थिति में, उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि उसे अभियुक्त/अपीलार्थी, उसके ससुर, देवर और उसकी ननद के पति ने उस पर पेट्रोल डालकर जलाया है ।उन्होंने आगे बताया कि मृतका के अनुसार उसकी सास को छोड़कर परिवार के अन्य सभी सदस्य वहाँ थे और उसे बाँधने के बाद पानी तक नहीं दिया गया और फिर उसे आग लगा दी गई । उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा एक अज्ञात पत्र सहित कुल चार पत्र प्रदर्श पी -3 के माध्यम से जब्त किए गए थे, और शव का पंचनामा उनकी उपस्थिति में प्रदर्श पी -4 के माध्यम से तैयार किया गया था जिस पर उनके हस्ताक्षर थे । उन्होंने आगे बताया कि तीजा उत्सव के अवसर पर जब मृतका उनके घर आई थी, तब उसने शिकायत की थी कि उसे दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं और अभियुक्तों/अपीलार्थियों द्वारा उसके साथ क्रूरता की जा रही है ।उसने यह भी बताया कि अभियुक्तों/अपीलार्थियों ने मृतका से उसकी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

छोटी ननंद की तरह 2 एकड़ जमीन की व्यवस्था करने के लिए कहा था । उन्होंने आगे बताया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने मृतका को अपने साथ महासमुंद में नहीं रखा जहाँ वह रह रहा था, और वह मुश्किल से 10-15 दिन ही महासमुंद में उसके साथ रही और उसके बाद वह अपने ससुराल में रह रही थी । उन्होंने आगे बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें यह भी सूचित किया था कि अभियुक्त/अपीलार्थी के किसी अन्य महिला के साथ संबंध थे। प्रति-परीक्षा में जब उनका सामना उनके केस डायरी कथन (**प्रदर्श डी -1**) से कराया गया, तो उन्होंने कहा कि डायरी कथन दर्ज करते समय उन्होंने पुलिस को बताया था कि मृतका ने उन्हें सूचित किया था कि अभियुक्तों/अपीलार्थियों द्वारा उसे आग लगा दी गई थी और इसी तरह के अन्य आरोप जो उन्होंने मुख्य परीक्षा में लगाए हैं; लेकिन यदि ये तथ्य पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किए गए तो वे इसका कारण नहीं बता सकता। उन्होंने आगे कथन किया है कि पंचनामा (**प्रदर्श पी -4**) के समय भी उन्होंने पुलिस को सभी तथ्य बताए थे, लेकिन वे यह कारण नहीं बता सकते कि उक्त पंचनामे में उन्हें क्यों दर्ज नहीं किया गया । उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने साहू समाज को एक आवेदन दिया था लेकिन समाज द्वारा कोई बैठक नहीं बुलाई गई ।हालाँकि, उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उन्होंने पहले किसी अवसर पर पुलिस को मामले की रिपोर्ट नहीं दी थी और पत्र (**प्रदर्श पी -3**) प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने पुलिस को किसी बात की सूचना नहीं दी थी । उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि मृतका खुजली की समस्या से पीड़ित थी जिसके लिए भिलाई में 4-6 महीने तक उसका इलाज चला था । उन्होंने बताया कि विवाह के समय मृतका कक्षा 10वीं में पढ़ रही थी और उसने तीन बार उक्त परीक्षा दी थी लेकिन वह अनुत्तीर्ण रही । उनके अनुसार, मृतका की पढ़ाई जारी रखने की तीव्र इच्छा थी ।उन्होंने आगे इस तथ्य को स्वीकार किया कि मृतका की अंत्येष्टि के अनुष्ठान करने के बाद उन्हें एक गुमनाम पत्र (**प्रदर्श पी -9**) प्राप्त हुआ था और उक्त पत्र में दहेज की मांग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का मामला दर्ज करने का सुझाव दिया गया था । उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि अस्पताल में जब मृतका के लिए रक्त की आवश्यकता थी, तो वह दोषमुक्त किए गए अभियुक्त गणपत द्वारा दिया गया था जो मृतका का देवर है । उनके अनुसार, जब वे अस्पताल में मृतका से मिले तो उन्होंने उसकी कलाई और पैरों पर चोट के निशान पाए जो रस्सी से बांधने के कारण हो सकते थे । उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि जब वे अस्पताल में अभियुक्त/अपीलार्थी से मिले तो उन्होंने पाया कि उसके हाथ और पैर जले हुए थे ।लक्ष्मी बाई (**अ.सा.-6**), जो मृतका की माता हैं, ने लगभग वैसे ही आरोप लगाए हैं जैसे श्याम लाल साहू (**अ.सा.-5**) द्वारा लगाए गए हैं । और प्रति परीक्षा में उन्होंने भी यह कहा है कि न्यायालय में उनके द्वारा अधिरोपित ये सभी आरोप उनके केस डायरी कथन **प्रदर्श डी -2** को दर्ज करते समय लगाए गए थे और वह यह कारण नहीं बता सकीं कि उन्हें दर्ज क्यों नहीं किया गया था । उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी भी जलने के कारण आहत हुआ था और अस्पताल में मजिस्ट्रेट ने मृतका का बयान दर्ज किया था और उस समय वहाँ कोई उपस्थित नहीं था । उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने मृतका से वैसा ही बयान देने को कहा था जैसा उन्होंने (माता ने) बताया था, और उसके बाद मृतका ने उन्हें सूचित किया था कि उसने उनकी इच्छानुसार ही बयान दिया है । उन्होंने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि मृतका ने उन्हें जमीन के संबंध में अभियुक्त/अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई किसी मांग के बारे में कभी नहीं बताया था ।**मुकुंद लाल (अ.सा.-7):** मृतका के चाचा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद जब वे अस्पताल पहुँचे तो उन्होंने मृतका को पूरी तरह से जला हुआ पाया और जब उन्होंने उससे पूछताछ की तो वह कुछ भी बोलने में असमर्थ थी । इसके बाद इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया । प्रति परीक्षा में, उन्होंने बताया कि विवाह के समय मृतका को टीवी सेट दिया गया था लेकिन उसका एंटीना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नहीं दिया जा सका था, जिसकी मांग उसके ससुर द्वारा की गई थी ।डॉ. डी.सी. जैन (**अ.सा.-8**): इन्होंने **प्रदर्श पी -11** के माध्यम से मृतका के शरीर का पोस्टमार्टम किया था और उनके अनुसार मृत्यु का कारण जलने के कारण अकस्मात् मूर्छा था ।**छोटेलाल (अ.सा.-9):** ग्रामीण, इन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है ।**धनी राम (अ.सा.-10):** अभियुक्त/अपीलार्थी का पड़ोसी जो घटना के तुरंत बाद घटना स्थल पर पहुँचा था, उसने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है ।**शांति बाई (अ.सा.-11):** पड़ोसी जो सुसंगत समय पर अभियुक्त/अपीलार्थी के घर के ठीक सामने रह रही थी, ने बताया कि जब वह अभियुक्त/अपीलार्थी के घर पहुँची तो उसने देखा कि अभियुक्त के परिवार के सदस्य मृतका को दवा दे रहे थे और उसने भी इसमें मदद की थी । उन्होंने बताया कि दवा लगाते समय जब उन्होंने मृतका से पूछा कि वह कैसे जली, तो मृतका ने उन्हें बताया कि मिट्टी का दीया जलाते समय उसे यह चोट लगी । उन्होंने बताया कि इसके बाद एक जीप में मृतका को रायपुर ले जाया गया । पैराग्राफ 5 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि परिवार के सदस्यों के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं होता था। अभियुक्त/अपीलार्थी और मृतका के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं होता था और उनका व्यवहार अच्छा था। उन्होंने आगे बताया कि मृतका उनके घर आती थी और इसी तरह वे भी उसके घर जाती थीं, लेकिन मृतका ने कभी अपने ससुराल वालों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की और वे खुशी-खुशी रहते थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बाल मुकुंद यदु (अ.सा.-12): तत्कालीन एएसआई, जिन्होंने मर्ग सूचना **प्रदर्श पी -12** और **पी -13** प्राप्त की और दर्ज की। **जगेश्वर राम साहू (अ.सा.-13):** वह गवाह है जिसने मृतक को अस्पताल ले जाने में अभियुक्त/अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों की मदद की थी। उन्होंने बताया कि जब मृतका को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में उसने पानी माँगा और जब वाहन रोका गया तो उसने उन्हें बताया कि चूंकि

घर की बिजली बंद थी और वह मिट्टी का दीया जला रही थी, इसलिए वह जल गई। उसने यह भी बताया कि आग बुझाते समय अभियुक्त/अपीलार्थी भी जल गया था। जी. चलम (अ.सा.-14): नर्स जिसने घटना के तुरंत बाद मृतका की देखभाल की थी, उसने बताया कि सुसंगत समय पर अपीलार्थी के घर में बिजली की आपूर्ति बाधित थी और उसने मृतका को जली हुई स्थिति में पाया। उसने बताया कि जब उसने मृतका से पूछा कि वह कैसे जली, तो उसने उसे कुछ भी नहीं बताया और उसके बाद उसे डी.के.अस्पताल ले जाया गया। उसने यह भी बताया कि मृतका के कपड़ों से कोई गंध नहीं आ रही थी। इसके बाद, इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। बी.एल. सहारिया (अ.सा.-15): अन्वेषण अधिकारी, ने अभियोजन पक्ष के मामले का विधिवत समर्थन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. विचारण न्यायालय के अभिलेख में मृतका का मृत्यु कालिक कथन मौजूद है और उक्त कथन के अनुसार, जिसे नायब तहसीलदार ए.के. वैष्णव द्वारा दर्ज किया गया था और डॉक्टर द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया था, इसमें कहा गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी मृतका को पसंद नहीं करता था और जब परिवार के सदस्य चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर उसके बारे में बताते थे, तो अभियुक्त/अपीलार्थी उसे डांटता था। घटना से 2-3 दिन पहले उसका पति के साथ झगड़ा हुआ था और उस समय पति ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा अन्यथा वह आत्महत्या कर लेगा, और यह सुनकर उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया और खुद को आग लगा ली। उसने बताया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने आग बुझाने का प्रयास किया और फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। हालाँकि मृत्यु कालिक कथन अभिलेख पर है, लेकिन अभियोजन पक्ष को ज्ञात सर्वोत्तम कारणों से अभियोजन पक्ष द्वारा इसे साबित नहीं किया गया है और न ही अभियोजन या बचाव पक्ष द्वारा इसे प्रदर्शांकित किया गया है।

10. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ मृतका का विवाह 15.5.89 को संपन्न हुआ था और 7.6.91 को 90% जलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई । घटना के बाद 5.6.91 को मृतका का मृत्यु कालिक कथन दर्ज किया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष को सर्वोत्तम ज्ञात कारणों से इसे साबित या प्रदर्शांकित नहीं किया गया । डी.के. अस्पताल, रायपुर में दर्ज मृत्यु कालिक कथन में मृतका ने बताया है कि उसका नाम किरण लता है, उसके पति का नाम बी.एल. साहू है और वह लोहारसी में रह रही थी ।उसने आगे कहा कि हालांकि वह घर में बहुत काम करती थी, लेकिन उसका पति उसे कभी पसंद नहीं करता था और उसके परिवार के सदस्य लगातार पति को उसे सबक सिखाने के लिए कहते रहते थे । उसने बताया कि बयान दर्ज होने से 2-3 दिन पहले उसका अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ झगड़ा हुआ था और जब अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, अन्यथा वह आत्महत्या कर लेगा, तो यह सुनकर उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया और खुद को आग लगा ली । उसने आगे बताया कि उसके पति ने आग बुझाने की कोशिश की और फिर उसे अस्पताल ले जाया गया ।हालाँकि यह मृत्यु कालिक कथन वाद के समय प्रस्तुत और प्रदर्शान्कित नहीं किया गया है, लेकिन बचाव पक्ष ऐसे किसी भी दस्तावेज़ का उपयोग करने का हकदार है जो अभिलेख का हिस्सा है । इस प्रकार, मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और लागू कानून को देखते हुए, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि मृत्यु कालिक कथन, भले ही वाद में प्रदर्शान्कित या सिद्ध न किया गया हो, बचाव पक्ष द्वारा उपयोग किया जा सकता है यदि वह अभियुक्त/अपीलार्थी के अनुकूल है । अभियोजन पक्ष द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेज़ को छिपाने के मामले में, न्यायालय यह मान सकता है कि रोका गया बयान यदि प्रस्तुत किया जाता तो अभियोजन के प्रतिकूल होता, और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस तरह दर्ज बयान को उपलब्ध न कराना अभियुक्त के लिए बहुत बड़ा पूर्वाग्रह पैदा करेगा । बयान या महत्वपूर्ण दस्तावेज़ की आपूर्ति न होने के कारण, अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के गवाह से प्रति परीक्षा करने के उसके बहुमूल्य अधिकार से वंचित कर दिया गया है । **लल्लूसिंघ आत्मज जगदीशसिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, **1996 (0) MPLJ 452,** में प्रतिवेदित किये गए लगभग समान मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"5. हमें अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से अवगत कराया गया। कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नायब तहसीलदार, उज्जैन द्वारा दर्ज किया गया मृत्यु कालिक कथन चालान के साथ मामले में दायर किया गया था, लेकिन वाद के दौरान इसे साबित नहीं किया गया था । हालाँकि, अभियुक्त के अधिवक्ता के अनुरोध पर इसे पेपर बुक में लिया गया है । इसी तरह अभियुक्त की चोट रिपोर्ट भी साबित नहीं हुई थी लेकिन अभियुक्त-अपीलार्थी के अनुरोध पर इसे पेपर बुक में लिया गया था ।

6. हम जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों को छिपाने की अभियोजन की पद्धति की निंदा करते हैं । अभियोजक 'राज्य' है और इसलिए, अभियोजन को जांच के दौरान एकत्र किए गए सभी साक्ष्यों को पेश करने के लिए पर्याप्त निष्पक्ष होना चाहिए और यह उसके (न्यायालय के) सामने साबित तथ्यों पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संबंधित न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए ।

लेकिन, मृत्यु कालिक कथन के दस्तावेज़ के औपचारिक प्रमाण के अभाव के बावजूद, अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में इसका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपयोग किया जा सकता है; अभियुक्त बिना प्रमाण के भी दस्तावेज़ का लाभ उठा सकता है । इसी तरह, अभियुक्त के शरीर पर चोटों को दर्शाने वाले चिकित्सा प्रमाण पत्र का उपयोग भी औपचारिक प्रमाण के अभाव के बावजूद अभियुक्त द्वारा किया जा सकता है ।

7. हालांकि यह वांछनीय है कि यदि अभियोजन पक्ष उस दस्तावेज़ को साबित करने के लिए साक्ष्य पेश करने में विफल रहता है जो अभियुक्त के पक्ष में जाता है; तो अभियुक्त को न्यायालय के माध्यम से गवाहों को समन करवाना चाहिए और दस्तावेज़ को प्रमाणित करना चाहिए । हालांकि, भले ही इस औपचारिकता का पालन नहीं किया गया हो, क्योंकि दस्तावेज़ अभिलेख का हिस्सा है और पुलिस रिपोर्ट के साथ पेश किया गया है, इसे हमेशा न्यायालय द्वारा अभियुक्त के लाभ के लिए माना जा सकता है"।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दिनांक 5.6.91 के विस्तृत मृत्यु कालिक कथन में मृतका ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2-3 दिन पहले उसने खुद पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा ली थी । मृतका द्वारा मृत्यु कालिक कथन दर्ज कराने के तथ्य को **लक्ष्मी बाई (अ.सा.-6)** ने भी स्वीकार किया है, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अस्पताल में मजिस्ट्रेट द्वारा मृतका का मृत्यु कालिक कथन दर्ज किया गया था । इस गवाह ने आगे बताया कि मृतका का मृत्यु कालिक कथन दर्ज करते समय वह बिल्कुल अकेली थी ।

12. इस गवाह के बयान और अभिलेख में उपलब्ध मृत्यु कालिक कथन पर विचार करते हुए, पूरा अभियोजन मामला संदिग्ध हो जाता है । इसके अलावा, **श्याम लाल साहू (अ.सा.-5)** और **लक्ष्मी बाई (अ.सा.-6)** के बयानों से यह स्पष्ट है कि न्यायालय में गवाही देते समय इन गवाहों ने न केवल अपने संस्करण को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है, बल्कि पूरी तरह से नई कहानी गढ़ी है । अपने केस डायरी कथन में, उन्होंने केवल यह कहा था कि मृतका को दहेज की मांग के लिए उत्पीड़न और क्रूरता का सामना करना पड़ा था, जिसके परिणामस्वरूप उसने आत्महत्या कर ली, जबकि न्यायालय में उन्होंने कहा कि अस्पताल में मृतका ने उन्हें सूचित किया कि उसे बांधने के बाद अभियुक्त/अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी । इस प्रकार, उनके बयान संदिग्ध प्रतीत होते है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. यदि मृतका के पत्रों को भी ध्यान में रखा जाए, हालांकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि ये पत्र मृतका द्वारा लिखे गए थे, तो यह स्पष्ट है कि अभियुक्त/अपीलार्थी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा दहेज की मांग या क्रूरता का कोई उल्लेख नहीं है । बल्कि 1.3.91 और 1.4.91 के पत्र दर्शाते हैं कि वह अपने ससुराल में खुशी-खुशी रह रही थी । मृतका के पिता **श्याम लाल साहू (अ.सा.-5)** के अनुसार, उन्होंने मृतका के हाथों और पैरों पर चोट के निशान देखे थे, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचनामा में चोट के ऐसे कोई निशान नहीं पाए गए थे । **शांति बाई (अ.सा.-11)** और **जगेश्वर राम (अ.सा.-13)** के अनुसार, मृतका ने उनके सामने मौखिक मृत्यु कालिक कथन दिया था जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि मिट्टी का दीया जलाते समय वह जल गई थी । यहाँ भी श्याम लाल साहू (अ.सा.-5) और लक्ष्मी बाई (अ.सा.-6) के बयान संदिग्ध हो जाते हैं क्योंकि उनके अनुसार, मृतका को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा आग लगाई गई

थी। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त/अपीलार्थी लोहारसी गांव में नहीं रह रहा था क्योंकि वह महासमुंद में काम कर रहा था और ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वह अक्सर लोहारसी आता था और मृतका को परेशान करता था । इसके अलावा, अभिलेख पर ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे पता चले कि मृत्यु से ठीक पहले मृतका को दहेज की मांग के लिए क्रूरता का शिकार होना पड़ा था । यह एक स्थापित विधिक स्थिति है कि "मृत्यु से ठीक पहले" शब्द का वर्णन करने के लिए कोई एक निश्चित सूत्र तय नहीं किया जा सकता है और यह एक सापेक्ष शब्द होने के नाते परिस्थितियों पर निर्भर करेगा ।प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा । वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मृतका की मृत्यु से ठीक पहले अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा दहेज की मांग की गई थी या उसके द्वारा मृतका के साथ क्रूरता की गई थी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अतः, अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध केवल सामान्य आरोपों के आधार पर, इस न्यायालय के लिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में दर्ज की गई उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखना सुरक्षित नहीं होगा ।

15. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है । आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है । अभियुक्त/अपीलार्थी को उसके विरुद्ध अधिरोपित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थी जमानत पर है । उसके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं ।

हस्ताक्षर/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By- ADV.VARSHA THACKER.